COURT OF ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-I, JAMUI

District & Addl. Sessions Judge-I-Cum-Special Judge Sc & St., Jamui.

B.A. No. 305/2026

Jhajha P.S. case no. 178/2026

Nageshwar Yadav & Other Vs. State of Bihar

11.06.2026 झाझा थाना कांड सं0–178/2026, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 115(2), 109(1), 352, सभी सपठित धारा 3(5) से संबंधित है, के अभियुक्तगण **1. नागेश्वर यादव** उम्र 67 वर्ष, पिता–स्व0 नन्हू यादव, **2. राजेश यादव उर्फ फाल्गुनी यादव** उम्र 30 वर्ष, पिता विशुनदेव यादव, दोनों निवासी ग्राम–करमा, थाना झाझा जिला–जमुई की ओर से दाखिल **नियमित जमानत आवेदन** पर आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

कांड के सूचक अजय यादव पे0 नरेश यादव द्वारा थानाध्यक्ष झाझा जिला जमुई को दिये गये लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक साररूप से इस प्रकार है कि दिनांक 20.04.2026 की रात्री 9:00 बजे वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने चचेरे भाई कुलदीप कुमार की शादी हेतु देवपुजन के लिए जा रहा था, तब वह और उसके परिवार के सभी लोग गॉव के चौराहा पर पहुँचे तो वहॉ पहले से घात लगाये रंजीत यादव, डब्लु यादव, **राजेश यादव उर्फ फालगुनी यादव,** अधीक यादव, सिन्टु यादव, सतीश यादव, नागेश्वर यादव, मनीष कुमार, मुन्ना यादव, गुड्डु यादव, नीतीश कुमार, रघुवीर यादव, रमेश यादव, बिपीन कुमार, बिरेन्द्र यादव, औंकार यादव, लखन यादव, छोटु यादव सभी अपने–अपने हाथ में लिए भुजाली, फरसा, टॉगी, खंती, लाठी, रड से घेर लिया और गाली गलौज करने लगे तथा **नागेश्वर यादव** ने आदेश दिया कि सभी को मार कर खत्म कर दो। उसके आदेश पर रंजीत यादव अपने हाथ में लिए भुजाली से माथा पर तथा डब्लु यादव हाथ में लिए फरसा से अशोक यादव के माथा पर तथा छोटु यादव टॉगी से संदीप कुमार के माथा पर जान मारने के नियत से मारा, जिससे उसका, अशोक यादव एवं संदीप कुमार का सिर कट गया एवं खून बहने लगा वे लोग जमीन पर गिर गये और छटपटाने लगे। इन लोगों को बचाने जब गणेश, बिपीन यादव, रोहित यादव, सुधीर यादव एवं अन्य लोग आए तो अधीक यादव पिस्तौल के बट से गणेश यादव के माथा पर मारा, जिससे माथा फट गया और खून बहने लगा तथा अन्य अभियुक्तों ने बिपीन, रोहित और सुधीर को लाठी, रड से मारकर जख्मी कर दिया। हल्ला पर गॉव के लोग आये, तो सभी अभियुक्तगण वहां से भाग गये। उसके परिवार जख्मियों को झाझा, थाना ले गये। थाना प्रभारी ने गंभीर स्थिती को देखते हुए, ईलाज के लिए झाझा अस्पताल भेजा। झाझा अस्पताल के डॉक्टर, जमुई सदर अस्पताल रेफर कर दिया जहॉ ये सभी का ईलाज चल रहा है।

जमानत आवेदन में साररूप से कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्तगण की ओर से इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया। जमानत आवेदन में आगे कथन किया है कि आवेदक अभियुक्तगण को कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्तगण बिल्कुल निर्दोष हैं तथा उन्होंने ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया है। जमानत आवेदन में आगे कथन किया गया है कि **आवेदक अभियुक्त सं0–2 राजेश यादव पर कोई विशिष्ट आरोप नहीं है, तथा आवेदक अभियुक्त सं0–1 नागेश्वर यादव एक बुजुर्ग व्यक्ति है, जिस पर केवल मारने का आदेश देने का आरोप है। यह मामला झाझा थाना कांड सं0 179/2026 का पल्टा वाद है। आवेदक अभियुक्तगण दिनांक 23.04.2026 से काराधीन है।**

आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन में उल्लिखित आधार पर आवेदक अभियुक्त को जमानत प्रदान करने का अनुरोध किया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध किया।

मैंने अभिलेख संहित कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध सूचक एवं उसके परिवार के सदस्यों के साथ गाली गलौज एवं मारपीट करने का आरोप है। कांड दैनिकी के पैरा–2 में कांड के सूचक अजय यादव का पुनः बयान तथा पैरा–5, 6, 14, 25, 26, 27, 28 एवं 58 में अन्य साक्षियों का बयान दर्ज है। सूचक संहित साक्षियों ने अपने अपने बयान में प्राथमिकी में दर्ज अभियोजन कथानक का समर्थन किया है, किंतु प्राथमिकी से ही स्पष्ट है कि दोनों आवेदक अभियुक्त पर मारपीट का स्पष्ट अभियोग नहीं है। आवेदक अभियुक्त सं0–1 नागेश्वर यादव पर स्पष्ट रूप से मारपीट का आदेश देने का आरोप है। जमानत आवेदन के अनुसार आवेदक अभियुक्तगण इस मामले में दिनांक 23.04.2026 से काराधीन है। आवेदक अभियुक्तगण पर लगे अभियोग तथा इनकी लम्बी कारावधि को ध्यान में रखते हुए मेरे विचार से जमानत से इंकार करना न्यायोचित नहीं है। अतः आवेदक अभियुक्तगण की ओर से दस हजार के दो प्रतिभुओं से समर्थित बंधपत्र तथा इस आशय का वचन पत्र की भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे, दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्
व्यवहार न्यायालय, जमुई।

प्रति अग्रसारितः– विद्वान न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जमुई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्
व्यवहार न्यायालय, जमुई।